

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:-प. 4(1)चिस्वा/2/2023/जे-21872

जयपुर,दिनांक:

निदेशक (जन.स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज. जयपुर।

विषय: डॉ. नसरीन भारती, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) राजकीय हरिबक्श कांवटिया अस्पताल जयपुर का विभागीय जॉच बकाया नही होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में है।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. नसरीन भारती, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी), (जन्मतिथी 26.09.1961) राजकीय हरिबक्श कांवटिया, अस्पताल, जयपुर जो कि अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण कर दिनांक 30.09.2023 को सेवानिवृत्त हो रहे है।

डॉ. भारती के विरुद्ध कार्मिक विभाग की टिप्पणी के अनुसार आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जॉच विचाराधीन/लम्बित नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नही है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ. भारती के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जॉच इत्यादि लम्बित नही हो भी सुनिश्चित करें।

भवदीया

(निमिषा गुप्ता)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर।
3. अधीक्षक, राजकीय हरिबक्श कांवटिया अस्पताल, जयपुर।
4. डॉ. नसरीन भारती, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) राजकीय हरिबक्श कांवटिया अस्पताल, जयपुर।
5. कम्प्यूटर सैल/रक्षित।
6. प्रभारी, सर्वर रूम निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.09.08 13:34:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4681920

